क्रमांक 151/बो.प्र./नि.स./2019/
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर

दिनांक /01/2020

अपीलार्थी
श्री के.आर. डहरिया,
केम्प कार्या. E.W.S. 141 एम.पी. नगर,
कोरबा (छ.ग.)

— विरुद्ध —

प्रतिअपीलार्थी
श्री लाल बहादुर शाह
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री के.आर. डहरिया, केम्प कार्या. E.W.S. 141 एम.पी. नगर, कोरबा (छ.ग.) द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2019 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 19.09.2019 एवं 11.11.2019 द्वारा वांछित जानकारी प्रदाय करने हेतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को आवेदन पत्र दिये थे। किन्तु अपीलार्थी को उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय से जानकारी प्राप्त न होने के कारण व्यथित होकर प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रथम अपील आवेदन–पत्र दिनांक 10.12.2019 को प्रस्तुत किया गया।

2 प्रकरण के अवलोकन एवं अध्ययन पश्चात् उभय पक्षों को सुनवाई हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 17000/17001, दिनांक 16.12.2019 द्वारा प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 26.12.2019 को समय दोपहर 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में उपस्थित होने हेतु पत्र जारी किया गया था। उक्त पत्र के पालन में प्रकरण की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अपीलार्थी अनुपस्थित होने के कारण उन्हें एक और अवसर दिया जाकर पुनः कार्यालयीन पत्र क्र. 17474/17475, दिनांक 28.12.2019 द्वारा दिनांक 10.01.2020 को समय दोपहर 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में उपस्थित होने हेतु तिथि एवं समय निर्धारित किया गया। उक्त पत्र के पालन में जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी सुनवाई हेतु दिनांक 10.01.2020 को उपस्थित हुए।

4. श्री लाल बहादुर शाह, जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के पत्र दिनांक 19.09.2019 के द्वारा चाही गई वांछित जानकारी उनके पत्र क्रं.. 4112275/100/छ.ग. /2019/13069 दिनांक 14.10.2019 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार 4 पृष्ठों (N/2+03) में सत्यापित कर निःशुल्क प्रदाय कर दी गई है, जिसकी सूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी को पत्र क्रं. सू.प्र./4112275/100/छ.ग./2019/17133 दिनांक 19.12.2019 द्वारा दी गई है। जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा चाही गई वांछित जानकारी के संबंध में उन्हें संबंधित स्थापना कक्ष से प्राप्त टीप के अनुसार दिनांक 14.10.2019 को प्रदाय किया गया। किन्तु अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी में नोटशीट की कापी नहीं दी गई है। अपीलार्थी को समक्ष में उक्त प्रेषित जानकारी को जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को अवलोकन कराया गया तथा प्रेषित जानकारी आवेदक को पुनः जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदाय किया गया, जो अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है।

4 चूँकि आवेदक/अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई जानकारी, जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालयीन रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है, जो अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। अतः प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण किया जाकर अपील प्रकरण निराकृत किया जाता है।

हस्ता/-

(व्ही.के. वच्छानी)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर

पृ. क्रमांक 151/बो.प्र./नि.स./2018/ 534 दिनांक 10 /01/2020
प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, डाटा सेंटर रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग (RTI) बेबसाईट में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री लाल बहादुर शाह, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. श्री के.आर. डहरिया, केम्प कार्या. E.W.S. 141 एम.पी. नगर, कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(व्ही.के. वच्छानी)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर